न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 27/17 निर्णय दिनांकः– 14–01–2020
(आरसीएमएस संख्या 20197/00480)

1. हासम खॉ पुत्र गोमू खॉ जाति मुसलमान निवासी गोगलीवाला तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।
2. गणेशाराम पुत्र रेवन्तराम जरिये मु. आम शरीफ खॉ जाति मुसलमान निवासी सूरासर तहसील पूगल

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 10–05–2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थिति :–

1. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 10–05–2017 जिसके द्वारा अपीलांट का आराजी काश्त आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर अपीलांट की पात्रता के आधार पर ग्राम रमई के खसरा नम्बर 01 में तादादी 25 बीघा भूमि बारानी का आवंटन वर्ष 1971 को किया गया था। वादगत् भूमि का नवीनीकरण अदालत मातहत द्वारा सवंत् 2039 से 2045 तक किया जाता रहा है।

अपीलांट को टीसी में आवंटित भूमि आज भी अपीलांट के कब्जे काश्त में है। जिसका नवीनीकरण सवंत् 2045 तक किया गया। चकबन्दी के पश्चात् नवीनीकरण नहीं किया व टीसी से पुख्ता की कार्यवाही की जाती है। अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का टीसी आवंटन खारिज किये बिना उक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को कर दिया गया। जबकि उक्त आवंटन से पूर्व अदालत मातहत को केवल मात्र यह देखना था कि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित है अथवा नहीं? तथा उसका पट्टा खारिज किया गया है अथवा नहीं? दोनों की स्थितियॉ अपीलांट के पक्ष की है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश तहसील हल्का की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना, बिना किसी युक्तियुक्त कारण अपीलांट के टीसी आवंटन को निरस्त किये बिना उक्त भूमि का अन्य को आवंटन किया गया है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा उक्त वादपत्र को बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के केवल मात्र अपीलांट का वादपत्र खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौरान बहस बताया कि चूंकि अपीलांट को टीसी में आवंटित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित करते हुए उनके द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये गये है। ऐसीस्थिति में अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटन के आदेश प्रदान किये जाते है तो अपीलांट उक्त भूमि पर अपने अधिकार छोड़ने को तैयार है।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधिवत आवंटित होकर उसकी खातेदारी अधिकार प्राप्त भूमि है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने टीसी आवंटन की एवज में अन्यत्र भूमि की मांग की जाती है तो उन्हें इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्ज काश्त नहीं है। अपीलांट टी. सी. में आवंटित भूमि पर काबिज ना होकर अन्य भूमि पर काबिज है। अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. मामलें में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की राय से ग्राम रमई के खसरा नम्बर 01 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट को आवंटित उक्त राजकीय भूमि का अस्थाई आवंटन का नवीनीकरण संवत् 2039 से 2045 तक किया जाता रहा है। कालान्तर में चकबन्दी होने पर उक्त रकबे का नवीनीकरण नहीं होन तथा वादग्रस्त भूमि चकबन्दी में सूची नम्बर 4 के अनुसार चक 3 आरएमए के मुरब्बा नम्बर 137/60 के रूप में पैमूद होने का कथन अपीलांट द्वारा किया गया है। जबकि पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रमई के खसरा नम्बर 1 चको में आने पर चक 4 जेडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 134/6 व 134/14 में परिवर्तित होना अंकित है तथा उक्त रकबा अन्य व्यक्ति मेघाराम पुत्र बालूराम जाति जाट व नन्दराम पुत्र भैरूदान जाति ब्राहमण को आवंटित होने व कालान्तर में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खरीदशुदा भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। दौराने बहस अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर अपने अधिकारों को छोड़ने व टीसी आवंटन की एवज में अन्यत्र भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर का परिपत्र क्रमांक प–5(ए)(24)उपनि/4604 दिनांक 08–11–2007 की प्रति प्रस्तुत की गई है। एक्त परिपत्र में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में जिन अस्थाई कृषि पट्टाधारकों के अस्थाई आवंटन निरस्त हुए है या जिनके अस्थाई धारण की भूमि त्रूटिवश अन्य को आवंटित हो गई है, या किसी अन्य कारणवश राजकीय भूमि धोषित कर दी गई अथवा उस जगह पर वह भूमि आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं है तो ऐसे अस्थाई पट्टा धारकों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर अथवा यदि पूर्व में आवेदन पत्र आमत्रित कर प्राप्त किये जा चुके है तो उन्हें सामान्य आवंटन में उपलब्ध शुद्व रकबाराज भूमि में से वर्तमान में उनकी भूमि आवंटन की पात्रता की जॉच कर राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 7 में वर्णित प्राथमिकताओं के अनुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

हस्तगत् प्रकरण में भी एक व्यक्ति को टीसी आवंटन किये जाने के उपरान्त उक्त आवंटन खारिज किये बिना ही भूमि अन्य को आवंटित करना नियम विरूद्व था फिर भी आवंटन अधिकारी ने भूमि सिवायचक तथा खाली मानकर अन्य को आवंटित करने में अनिमितता की है। पूर्व टीसी धारक को सुनवाई का मौका दिये बिना वही रकबा अन्य को आवंटित कर देने से पूर्व आवंटी तथा कब्जाधारक की पात्रता एवं दावा समाप्त नहीं माना जा सकता। आवंटन अधिकारी को चाहिए था कि वे अपीलांट/आवेदक की पात्रता के आधार पर अन्यत्र रकबा आवंटित

करते परन्तु आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के आवंटन पर किसी प्रकार का निर्णय लिये बिना एकतरफा तौर पर उक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किये जाने का यह निर्णय एकतरफा एवं अविवेकपूर्ण है।

7. उक्त विवेचना के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, पूगल के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–05–2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये बिना अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, पूगल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट की पात्रता को अन्य लम्बित आवंटन प्रकरणों में शामिल करते हुए तथा राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 9 से 14 के प्रावधानों व उक्त परिपत्र के अनुसरण में अपीलांट के प्रार्थना पत्र का विधि सम्मत निस्तारण करते हुए पात्रता अनुसार अन्य भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14–01–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.03 11:32:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: